संख्या 507/का-1/97

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 23 जनवरी, 1998

विषय :–रिक्ति के वर्ष की अवधारणा

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-1

सेवा नियमावलियों में चयन वर्ष की परिभाषा निम्नवत् होती है :–
"प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि ।"

2––उक्त के अनुसार एक चयन वर्ष में घटित होने वाली रिक्तियों की गणना कर उनके सापेक्ष चयन की कार्यवाही की जाती है । इस परिप्रेक्ष्य में शासन के समक्ष यह तथ्य संज्ञान में आया कि, 30 जून को घटित होने वाली रिक्ति की गणना उसी चयन वर्ष में की जायेगी या अनुवर्ती (अगले) चयन वर्ष में उक्त रिक्ति को सम्मिलित किया जायेगा ।

3––इस विषय में शासन को प्राप्त विधिक परामर्श के अनुसार 30 जून को रिक्ति उसी चयन वर्ष की रिक्ति मानी जायेगी । उदाहरण स्वरूप 30 जून, 1996 की रिक्ति प्रथम जुलाई, 1995 से प्रारम्भ चयन वर्ष 1995–96 की मानी जायेगी ।

4––अतः अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करना कृपया सुनिश्चित कर लें ।

भवदीय,
सुधीर कुमार,
सचिव ।

संख्या–507/का-1/1997, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिव, विधान सभा, उ0 प्र0,
(2) सचिव, विधान परिषद्, उ0 प्र0,
(3) सचिव, श्री राज्यपाल, उ0 प्र0,
(4) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद,
(5) सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उ0 प्र0, लखनऊ,
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
के0 एम0 लाल,
विशेष सचिव ।

पी0 एस0 यू0 पी0––ए0 पी0 35 सा0 नियुक्ति––17–2–98––(2420)––1998–5,000 (मैके0)